

**मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4 (1) (बी) के तहत सूचना**

बिंदु	जानकारी
1- मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, के निर्देश क्र.-02-01-2019-तेईस-योआसा. एवं मध्यप्रदेश राजपत्र आसाधारण दिनांक 10-फरवरी, 2020 (click here)
2- मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	शासन के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया जाता है
3- विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	शासन के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
4- मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड	मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग द्वारा स्वयं द्वारा निर्धारित कोई मानदंड नहीं है
5- मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृतव्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश
6- ऐसे दस्तावेजों के जो मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग द्वारा धारित या आयोग के नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण	जिला योजना समिति अधिनियम 1995 (click here)
7- किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके क्रियान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यातवेदन के लिए विद्यमान हैं	जानकारी निरंक है
8- ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या से अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्यज निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्तों एक जनता की पहुंच होगी विवरण	जानकारी निरंक है
9- मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	आयोग कार्यालय वेबसाईट लिंक (click here) (https://mpplanningcommission.gov.in/)

10- आयोग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो	आयोग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक की जानकारी (click here)
11- सभी योजनाओं प्रस्तावित व्यक्तियों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का कोई भी अभिकरण नहीं है। अतः जानकारी निरंक है
12- सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	जानकारी निरंक है
13- मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के द्वारा अनुदत्तर रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	जानकारी निरंक है
14- किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो	आयोग कार्यालय वेबसाईट लिंक (click here) (https://mpplanningcommission.gov.in/)
15- सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	वर्तमान में आयोग कार्यालय में पुस्तकालय या वाचन कक्ष नहीं है
16- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	अपीलीय अधिकारी-श्री पी.सी. बारस्कर, सलाहकार, मो.नं.-9200314897 लोक सूचना अधिकारी-श्रीमती प्राची बोहरे जोशी, सहायक सलाहकार, मो.नं.-9407291965 सहायक लोक सूचना अधिकारी-डॉ. हेमंत सिंह, अन्वेषक, मो.नं.-9098279078 लोक सूचना शाखा प्रभारी-एस.एन. शर्मा, सहायक ग्रेड-3, मो.नं.-9977611803 कार्यालय ईमेल-sp@nic.in
17- ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए	निरंक



(पी.सी. बारस्कर)

सलाहकार

मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग